



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34134

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2026/2026

अब्दुल हक

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता : अलाउद्दीन, फखरुद्दीन

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, राजीव रतन

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है :-

"a. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी कर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत वाद संख्या-1183/2025 (अब्दुल हक बनाम श्रीमती नूरजहां एवं अन्य) और कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-C202517000001183 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2025 (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या-6), और प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत वाद संख्या-894/2023 (अब्दुल हक बनाम नूरजहां) और कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202317630100894 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2025 (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या-4) के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209(H) के तहत वाद संख्या-5084/2021 (अब्दुल हक बनाम रामशंकर मिश्रा) और कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202117630105984 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या-2) को रद्द करें।"
2. निजी प्रत्यर्थियों, विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 9- अब्दुल अजीम की ओर से उपस्थित श्री राजीव रतन, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त श्री आर. सी. सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याची के पास वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई 'लोकस' (अधिकार) नहीं है। याची को किसी भी प्रकार की कोई कानूनी क्षति नहीं हुई है। अपर आयुक्त (न्यायिक), बस्ती मंडल, बस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2025 के प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

"प्रश्नगत नामान्तरण के सम्बन्ध में संस्था के किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है और न ही बैनाम को निष्प्रभावी होने का उल्लेख किया गया है।"
3. इस तथ्य से न तो तर्कों के माध्यम से और न ही पूरी रिट याचिका में कहीं भी इनकार किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय की यह राय है कि याची को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव (पूर्वाग्रह) नहीं पहुँचा है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है।
5. रिट याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, यह आदेश अधिकारियों को इस न्यायालय के समक्ष विवाद उठाने से नहीं रोकेगा, यदि वैसी सलाह दी जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 13, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"